उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

नवाड़खेड़ा, गौलापार (नैनीताल)

05946–299615,05946–299616,05946–299617
Mail Id: highereducation.director@gmail.com

पत्रांकः डिग्री विविध–वि0/5365/2024–25 दिनांकः 22 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्तशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तरमहाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः–माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी/मा0 अध्यक्ष, राजय उच्च शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांकः 21 नवम्बर, 2024 को शिक्षा परिषद् की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी/मा0 अध्यक्ष, राजय उच्च शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांकः 21 नवम्बर, 2024 को शिक्षा परिषद् की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवृत्त एवं उपसचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 265545/XXIV-C-2/ 2025. 38(2)13TC/2022 उच्चशिक्षा अनुभाग– 4 देहरादून, दिनांकः 06 जनवरी, 2025 के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है –

1. कार्यवृत्त के मद संख्या 05 में दिये गये निर्देशों के क्रम में महाविद्यालयों को आवंटित सीटों के अनुसार ही प्रवेश अनुमन्य होंगे तथा उन्हीं छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत होगी। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 180 दिन शैक्षणिक कार्य दिवस सुनिश्चित करेंगे।
2. कार्यवृत्त के मद संख्या 10 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री जनविकास योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संबंधित प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र आवंदित बजट के सापेक्ष कार्यों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यवृत्त के मद संख्या 12 में दिये गये निर्देशों के क्रम में महाविद्यालयों के प्राचार्यो, प्राध्यापकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त जानकारी ऑनलाईन की जाये एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
4. कार्यवृत्त के मद संख्या 20 में दिये गये निर्देशों के क्रम में महाविद्यालयों में समय–समय पर शिक्षणेत्तर गतिविधियों का अनवरत संचालन किया जाये तथा सभी महाविद्यालयों में एन0सी0सी0, एन0एस.एस0, रेड क्रास, रोवर रेन्जर्स, खेल–कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये तथा महाविद्यालयों में [illegible]

एक्टिविटी–डे के रूप में विभिन्न क्रिया कलापों को कराया जाये। प्रत्येक महाविद्यालय एक गॉव एवं एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेगा तथा शिक्षण आदान–प्रदान करने के कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे, जिससे सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों (जैसे नशामुक्ति, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता मिशन) से छात्र–छात्राओं को जोड़ा जा सके।

5. कार्यवृत्त के मद संख्या 23 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक माह महाविद्यालय में अभिभावक संघ की बैठक करवायी जाये। महाविद्यालय में अपने–अपने भवनों में सोलर पैनल लगाने जाने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जाये, जिन्हें स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके। जिससे विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमें शिक्षकों, अभिभावकों तथा जनप्रतिनिधियों के लेख एवं सुझाव सम्मिलित किये जाये साथ प्रत्येक महाविद्यालय में ओपन जिम स्थापित किये जाये जिससे छात्र–छात्राओं का रूझान खेलकूद की और बढ़ सके उन्हें सामाजिक बुराईयों से दूर रखा जा सके।

अतः समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

पृ0सं0: डिग्री प्लान/5365/2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. उपसचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।